भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2463

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

परित्यक्त खदानों के जल का जल संसाधन के रूप में उपयोग

2463. श्रीमती महुआ माजी**:**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की बंद और परित्यक्त खदानों में संचित जल की मात्रा, गुणवत्ता तथा उसके पेयजल और सिंचाई-उपयोग की क्षमता का कोई राष्ट्रीय मानचित्रण किया गया है;

(ख) क्या वैज्ञानिक उपचार के पश्चात ऐसे जल के उपयोग हेतु खान जल संसाधन ग्रिड विकसित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या झारखंड के जल-संकटग्रस्त खनन क्षेत्रों में परित्यक्त खदानों के जल को ग्रामीण पेयजल और सिंचाई प्रणालियों से जोड़ने की पायलट परियोजना शुरू की जाएगी?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क) : पेयजल अथवा सिंचाई प्रयोजनों के लिए बंद और परित्यक्त खानों में संचित जल की मात्रा, गुणवत्ता और उपयुक्तता का आकलन करने के लिए कोई राष्ट्रव्यापी मानचित्रण नहीं किया गया है। तथापि, कोयला और लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) अर्थात् कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) अपनी प्रचालनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार और अधिशेष खान जल के लाभप्रद उपयोग के लिए खान जल की उपलब्धता तथा गुणवत्ता का आकलन करते हैं। खान जल का उपयोग अपने औद्योगिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है और उपयुक्त अवशोधन के बाद सिंचाई तथा घरेलू उपयोग के लिए आस-पास के समुदायों को इसकी आपूर्ति की जाती है।

(ख) : वैज्ञानिक रूप से अवशोधित खान जल के उपयोग के लिए राष्ट्रीय खान जल संसाधन ग्रिड विकसित करने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) : वर्तमान में, झारखंड में परित्यक्त खानों के जल को ग्रामीण पेयजल और सिंचाई प्रणालियों से जोड़ने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
